राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के साथ पठित धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (xi-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन हेतु इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 है।

(2) इनका प्रसार राजस्थान राज्य में के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में होगा।

(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो-

(क) **'अधिनियम'** से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) अभिप्रेत है।

(ख) **'वाणिज्यिक प्रयोजन'** से किसी भी परिसर का व्यापार या वाणिज्य या कारबार जिसमें कोई दुकान, वाणिज्यिक स्थापन, बैंक, कार्यालय, अतिथि-गृह, छात्रावास, होटल, रेस्तरां, ढाबा (चाहे पक्का हो या अस्थायी संरचना), शोरूम, सिनेमा, मल्टी प्लैक्स, पेट्रोल पम्प, बारूदशाला, तुला चौकी, गोदाम, कर्मशाला या अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे के लिए उपयोग अभिप्रेत है और जिसमें उसका भागत: आवासीय और भागत: वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग भी सम्मिलित होगा किन्तु जिसमें पर्यटन इकाइयां सम्मिलित नहीं होंगी।

(ग) **'विकासकर्ता'** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भू-खण्डों के उप-विभाजन, पुनर्गठन या अभिवृद्धि का इच्छुक है या उसका जिम्मा लेता है।

(घ) **'जिला स्तरीय समिति'** से राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गठित समिति अभिप्रेत है।

(ङ) **'प्ररूप'** से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है:

[2][(च) **'औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक सम्पदा'** से आवश्यक कल्याण और सहायक सेवाओं जैसे डाकघर कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी, शैक्षणिक संस्थाएं, शीतागार, प्रदूषण नियंत्रण उपचार संयंत्र, विद्युत ऊर्जा स्टेशन और जल प्रदाय और मलवाही सुविधाओं, चिकित्सालय या अस्पताल, बैंक, पुलिस थाना, अग्निशमन केन्द्र, तुला चौकी को सम्मिलित करते हुए उद्योग या उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास और विनिधान निगम या यथास्थिति प्राइवेट विनिधानकर्ता द्वारा विकसित किया गया भूमि का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;]

(छ) **'औद्योगिक प्रयोजन'** से सूचना प्रौद्योगिक उद्योग को सम्मिलित करते हुए किसी भी उद्योग, चाहे वह लघु या मध्यम हो या बड़ी इकाई/ या कोई पर्यटन इकाई हो के लिए किन्हीं परिसरों या कर्मशालाओं या किसी खुले क्षेत्र का उपयोग अभिप्रेत है और इसमें ईंट भट्टा या भट्टा सम्मिलित होगा किन्तु इसमें खण्ड (ख) में यथा परिभाषित किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए गए परिसर सम्मिलित नहीं होंगे;

(ज) **'संस्था प्रयोजन'** से किसी स्थापन, संगठन या संगम द्वारा लोकोपयोगी प्रयोजन को छोड़कर विशेष रूप से साधारण उपयोग, पूर्त, शैक्षणिक या समान प्रकृति के किसी उद्देश्य के उन्नयन के लिए किन्हीं परिसरों या किसी खुले क्षेत्र का उपयोग अभिप्रेत है;

---

1. अधिसूचना सं. प 6(6) राज. 6/92/पार्ट/35 दिनांक 23 जुलाई, 2007 द्वारा जो राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग 4 (ग) दिनांक 3.4.2007 पृष्ठ 1(1) पर प्रकाशित एवं विभागीय अधिसूचना क. 6(6) राज. 6/92 पार्ट/14 दिनांक 2.4.2007 का नियमानुसार हिन्दी अनुवाद
2. अधिसूचना सं. प 6(6) राज. 6/92/पार्ट/8 दिनांक 20 मार्च, 2008 द्वारा नियम 2 के उप नियम (1) का खण्ड (च) प्रतिस्थापित किया गया।

(झ) 'चिकित्सा सुविधा' में क्लीनिक, चिकित्सालय, आयुर्विज्ञान चिकित्सालय नैदानिक केन्द्र और नर्सिंग होम सम्मिलित हैं;

(ञ) 'मास्टर प्लान क्षेत्र' से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) के उपबन्धों के अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार और अनुमोदित मास्टर प्लान में समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ट) 'परिधीय क्षेत्र' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन तैयार किये गये किसी शहर या किसी नगर के मास्टर प्लान या मास्टर विकास प्लान में उपदर्शित परिधीय क्षेत्र अभिप्रेत है और जहां कोई मास्टर प्लान या मास्टर विकास प्लान नहीं है या जहां ऐसे प्लान में परिधीय क्षेत्र उपदर्शित नहीं है वहां ऐसा क्षेत्र, जो राज्य सरकार के नगर विकास और आवासन विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये ओर जहां किसी ग्राम का कोई भाग परिधीय क्षेत्र के भीतर आता है वहां सम्पूर्ण ग्राम परिधीय क्षेत्र के भीतर समझा जायेगा;

(ठ) 'व्यक्ति' से कोई मानव अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, व्यक्तियों का संगम, निगमित निकाय या कोई अन्य विधिक व्यक्ति सम्मिलित होगा;

(ड) 'विहित प्राधिकारी' से नियम 9 में यथाविहित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ढ) 'लोकोपयोगी प्रयोजन' से धर्मशाला, धार्मिक स्थान, गौशाला या सार्वजनिक उद्यान अभिप्रेत है;

(ण) 'ग्रामीण क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो नगरीय निकायों के अधिसूचित क्षेत्र और उनके परिधीय क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है;

(त) 'आवासीय इकाई' से मानव के रहने के लिए किसी ऐसे परिसर का उपयोग अभिप्रेत है जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर से अधिक नहीं है;

(थ) 'आवासीय कॉलोनी/परियोजना' से आवासीय भू-खण्ड/फ्लैट/ ग्रह अभिप्रेत हैं जो हितबद्ध व्यक्तियों को आगे विक्रय करने के लिए विकासकर्ता द्वारा विकसित किये जा रहे हों;

[(थथ) 'विशेष आर्थिक परिक्षेत्र' से विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 28) की धारा 3 की उपधारा (4) के परन्तुक और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (मुक्त व्यापार और भण्डारण परिक्षेत्र सहित) अभिप्रेत है;]

[2][(द) 'पर्यटन इकाई' पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रवर्गों की पर्यटन परियोजना से अभिप्रेत होगी-

(क) कोई हैरिटेज होटल

(ख) कोई भी अन्य होटल जिसमें 25 या इससे अधिक कमरों की वास सुविधा हो;

(ग) सुसज्जित तम्बू आवास सहित कोई शिविरस्थल जिसमें स्नानघर और प्रसाधन सुविधाओं के साथ-साथ कम से कम पचास तम्बू हों;

(घ) खेलकूद और आमोद-प्रमोद सम्बन्धी सुविधाएं, घुड़सवारी, तैराकी और सामाजिक सुख सुविधाओं के साथ कुटीरों में बोर्डिंग और आवास की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने वाला कोई होली-डे रिसोर्ट;

(ङ) बच्चों के साथ ही वयस्कों के लिए विभिन्न प्रकार की सवारियां, खेल और मनोरंजन उपलब्ध कराने वाला कोई मनोरंजन पार्क; और

(च) कोई रेस्तरां या परियोजना जिसकी लागत 1 करोड़ रु. से अधिक हो (जो उपखण्ड अधिकारी द्वारा सत्यापित हो),

[1][(छ) स्वास्थ्य स्पा, चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे योग आदि, गोल्फ अकादमी, गोल्फ मैदान या उपर्युक्त उप-खण्ड (क) से (च) तक में उल्लिखित इकाइयों से सहबद्ध अन्य खेलकूद से संबंधित क्रियाकलाप;]

(ध) 'नगरीय निकाय' से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 या राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) या जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) के अधीन गठित निकाय अभिप्रेत हैं।

(2) इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों, जहां कहीं भी वे इन नियमों में प्रयुक्त की गयी हैं, का वही अर्थ लगाया जायेगा जो अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

---

1. अधिसूचना सं. प 6(6) राजस्व VI/92/पार्ट IV/13 दिनांक 15 मई, 2008 द्वारा नियम 2 के उप नियम (1) में 'थ' के पश्चात 'थथ' एवं 'द' में उपखण्ड (च) के पश्चात (छ) खण्ड नया अन्तःस्थापित किया गया।
2. अधिसूचना सं. प 6(6) राज. 6/92/पार्ट 18 दिनांक 20 मार्च, 2008 द्वारा नियम 2 के उप नियम (1) का खण्ड (द) प्रतिस्थापित किया गया।

3. प्रयोजन जिनके लिए कृषि भूमि का संपरिवर्तन किया जा सकेगा- आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कोई भी भूमि ग्रामीण क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित की जा सकेगी:-

(i) आवासीय इकाई

(ii) आवासीय कॉलोनी/ परियोजना

(iii) वाणिज्यिक प्रयोजन

[1][(iv) औद्योगिक प्रयोजन/ औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक सम्पदा]

(v) नमक विनिर्माण प्रयोजन

(vi) लोकोपयोगी प्रयोजन

(vii) संस्थागत प्रयोजन

(viii) चिकित्सा सुविधाएं

[1][(ix) विशेष आर्थिक परिक्षेत्र का विकास]

4. भूमि जिसका संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा- निम्नलिखित भूमि के संपरिवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा मंजूर नहीं की जायेगी-

(क) ऐसी भूमि जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जनाधीन है;

(ख) किसी भी रेल पटरी, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या केन्द्रीय या राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित बनाये गये किसी भी अधिनियम या नियमों में यथा विनिर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित किसी अन्य सड़क की सीमाओं के भीतर या उद्योग की स्थापना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/ मुख्य जिला सड़क/ अन्य जिला सड़क/ग्रामीण सड़क, इसमें से जो भी लम्बी हो, के मध्य बिन्दु से भारतीय सड़क कांग्रेस के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर आनेवाली भूमि;

(ग) किसी औद्योगिक इकाई या चूना भट्टे या किसी क्रशर इकाई या किसी औद्योगिक क्षेत्र के प्रयोजन के लिए ग्राम आबादी की बाहरी सीमाओं के 1.5 कि.मी. के अर्धव्यास के भीतर आने वाली भूमि; यह निर्बन्धन वहां लागू नहीं होगा जहां संपरिवर्तन ईंट भट्टे या प्रदूषण रहित उद्योग, लघु या कुटीर उद्योग के लिए चाहा गया है;

(घ) किसी तालाब या ग्रामीण जलाशय, नदी, नाला, तालाब, झील के जलागम क्षेत्र के अधीन आने वाली भूमि या किसी श्मशान भूमि या कब्रिस्तान या ग्रामीण जलाशय तक जाने वाले रास्ते के रूप में उपयोग में ली गयी भूमि, भले ही वह ग्राम के राजस्व नक्शे या राजस्व अभिलेख में इस प्रकार अभिलिखित न हो।

[2][(ङ) सभी कम्पनियों की भूमिगत पाइपलाइनों के मार्ग के अधिकार की सीमाओं की 10 मीटर के अर्द्धव्यास के भीतर आने वाली भूमि।

(च) तेल कम्पनियों के भण्डारण टैंक की सीमाओं के 50 मीटर के अर्द्धव्यास के भीतर आने वाली भूमि।

(छ) भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 79 और 80 के अधीन निर्बंधित भूमि और भवन।]

5. निवास गृह, पशुशाला या भंडार गृह के लिए संपरिवर्तन प्रभार के बिना संपरिवर्तन- कोई खातेदार अभिधारी 500 वर्ग मीटर से अनधिक क्षेत्र पर निवास गृह या पशुशाला या भंडार गृह के निर्माण के लिए अपनी कृषि जोत को नियम 7 अधीन संदेय कोई संपरिवर्तन प्रभार दिये बिना संपरिवर्तित कराने का हकदार होगा। इस प्रकार संपरिवर्तित क्षेत्र उसकी खातेदारी अभिधृति में बना रहेगा।

6. लघु उद्योग और कजावा स्थापित करने के लिए खातेदारी भूमि का उपयोग- इन नियमों के अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, संपरिवर्तन के लिए कोई भी अनुज्ञा वहां अपेक्षित नहीं होगी जहां कोई खातेदारी अभिधारी 2500 वर्ग मीटर से अनधिक क्षेत्र में अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि पर कोई लघु उद्योग स्थापित करता है। इस प्रकार उपयोग में लिया गया क्षेत्र उसकी खातेदारी में बना रहेगा।

7. संपरिवर्तन प्रभार- नियम 5 और 6 के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र के लिए कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिर्वन हेतु संदेय प्रीमियम निम्नानुसार होगा:-

	प्रयोजन	प्रतिवर्ग मीटर दर
(i)	आवासीय इकाई	5/- रु. प्रति वर्ग मीटर या कृषि भूमि की जि.स्त.स. दर की रकम का 5% इनमें से जो भी अधिक हो,
(ii)	आवासीय कॉलोनी/ परियोजना	7.5/- रु. प्रति वर्ग मीटर या कृषि भूमि की जि.स्त.स. दर की रकम का 7.5% इनमें से जो भी अधिक हो,

1. अधिसूचना सं. प 6(6) राजस्व VI/92/पार्ट IV/13 दिनांक 15 मई, 2008 द्वारा नियम 3 के उप खण्ड (iv) [औद्योगिक प्रयोजन/औद्योगिक क्षेत्र] प्रतिस्थापित एवं खण्ड (viii) के पश्चात नया खण्ड (ix) अन्तःस्थापित किया गया।
2. अधिसूचना सं. प 6(6) राजस्व VI/92/पार्ट IV/13 दिनांक 15 मई, 2008 द्वारा नियम 4 में खण्ड (घ) के पश्चात् नये खण्ड (ङ)(च)(छ) जोड़े गये।

(iii)	वाणिज्यिक प्रयोजन	10/- रु. प्रति वर्ग मीटर या कृषि भूमि की जि.स्त.स. दर का 10% इनमें से जो भी अधिक हो,
(iv)	औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक प्रयोजन/ [1][औद्योगिक संपदा]	5/- रु. प्रति वर्ग मीटर या कृषि भूमि की जि.स्त.स. दर की रकम का 5% इनमें से जो भी अधिक हो,
(v)	नमक विनिर्माण प्रयोजन	0.5/- रु. प्रति वर्ग मीटर या कृषि भूमि की जि.स्त.स. दर की रकम का 0.5% इनमें से जो भी अधिक हो,
(vi)	लोकोपयोगी प्रयोजन	10000 वर्ग मीटर तक बिना प्रीमियम किन्तु 10000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के लिए 5/- रु. प्रति वर्ग मीटर या जि.स्त.स. का 5% इनमें से जो भी अधिक हो,
(vii)	संस्थागत प्रयोजन	5/- रु. प्रति वर्ग मीटर या कृषि भूमि की जि.स्त.स. दर का 10% इनमें से जो भी अधिक हो,
(viii)	चिकित्सा सुविधा	10/- रु. प्रति वर्ग मीटर या कृषि भूमि की जि.स्त.स. दर का 10% इनमें से जो भी अधिक हो,
*[(ix)	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के विकास के लिए	7.50/- रु. प्रति वर्ग मीटर या कृषि भूमि की जि.स्त.स. दर की रकम का 7.5% इनमें से जो भी अधिक हो,

8. संपरिवर्तन प्रभारों से छूट- (1) किसी भी शासकीय उपयोग के लिए अकृषिक प्रयोजनों के लिए भूमि के संपरिवर्तन हेतु राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई संपरिवर्तन प्रभार संदेय नहीं होगा।

[2][(2) नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (द) में यथा परिभाषित कोई पर्यटन इकाई 31 मार्च 2010 तक स्थापित करने के लिए अभिधारी द्वारा धारित भूमि के संपरिवर्तन के लिए नियम 7 में यथाविहित कोई संपरिवर्तन प्रभार संदेय नहीं होंगे।]

9. संपरिवर्तन के लिए विहित प्राधिकारी- कृषि भूमि के किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन हेतु अनुज्ञा चाहने वाला कोई खातेदार अभिधारी विहित प्राधिकारी को सभी प्रकार से पूर्ण प्ररूप-'क' में आवेदन उसमें विहित दस्तावेजों और विहित प्राधिकारी के पास जमा कराये गये संपरिवर्तन प्रभारों की रकम को उपदर्शित करते हुए चालान की प्रति सहित निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा:-

	संपरिवर्तन का प्रयोजन	विहित प्राधिकारी
(क)	आवासीय इकाई	(i) 500 वर्ग मीटर तक तहसीलदार (ii) उपखण्ड अधिकारी जहां कुल क्षेत्र [3][2500] वर्ग मीटर से अधिक नहीं है
(ख)	आवासीय कॉलोनी/ परियोजना	(i) कलक्टर-जहां कुल क्षेत्र 50,000 वर्गमीटर से अधिक नहीं है (ii) राज्य सरकार- जहां कुल क्षेत्र 50,000 वर्ग मीटर से अधिक है
(ग)	वाणिज्यिक प्रयोजन	(i) उपखण्ड अधिकारी-जहां सिनेमा, पेट्रोल पम्प, बारुदशाला, मल्टीपलेक्स, होटल, रिसोर्ट को छोड़कर कुल क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है।

1. अधिसूचना सं. एफ 6(6) राज. 6/92/पार्ट 18 दिनांक 20 मार्च, 2008 द्वारा नियम 7 में खण्ड (iv) में कॉलम नम्बर 1 में शब्द प्रतिस्थापित किये गये।
2. अधिसूचना सं. एफ 6(6) राज. 6/92/पार्ट 18 दिनांक 20 मार्च, 2008 द्वारा नियम 8 के उप नियम (2), (3), (4) एवं (5) को उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापन से पूर्व नियम 8 के उप नियम 2 से 5 इस प्रकार थे।

(2) कोई संपरिवर्तन प्रभार वहां संदेय नहीं होगा जहां कोई अभिधारी उसके द्वारा धारित भूमि के 2000 वर्ग मीटर से अनधिक क्षेत्र पर कोई पर्यटन इकाई स्थापित करने का इच्छुक है।

(3) राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम 2003 के उपबन्धों के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित पात्र इकाई की स्थापना के लिए भूमि के संपरिवर्तन की दशा में संपरिवर्तन प्रभारों का पचास प्रतिशत प्रभारित किया जायेगा।

(4) कोई संपरिवर्तन प्रभार वहां संदेय नहीं होगा जहाँ कोई अभिधारी उसके द्वारा धारित भूमि के 1200 वर्गमीटर से अनधिक क्षेत्र पर 31 मार्च, 2010 तक नयी होटल नीति, 2006 के अधीन नये बजट होटल (1 तारा, 2 तारा और 3 तारा होटल) स्थापित करता है।

(5) पर्यटन हब नीति के उपबन्धों के अधीन पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा यथा-घोषित पर्यटन हब के विकास के लिए भूमि के संपरिवर्तन की दशा में संपरिवर्तन प्रभारों का पचास प्रतिशत प्रभारित किया जायेगा।

(3) अधिसूचना सं. एफ 6(6) राज. 6/92/पार्ट 18 दिनांक 20 मार्च, 2008 द्वारा नियम 9 के खण्ड क के कॉलम 2 के (ii) को 1250 स्क्वायर मीटर की जगह 2500 स्क्वा. मीटर प्रतिस्थापित किया गया।

* अधिसूचना सं. प 6(6) राजस्व VI/92/पार्ट IV/13 दिनांक 15 मई, 2008 द्वारा नियम 7 के उप खण्ड (viii) के पश्चात् (ix) नई जोड़ी गयी।

		[1][(ii) कलक्टर जहां [रिसोर्ट को छोड़कर] कुल क्षेत्र 5000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है। (iii) राज्य सरकार-जहां कुल क्षेत्र 5000 वर्ग मीटर से अधिक है और [रिसोर्ट के सभी मामले]
(घ)	औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक प्रयोजन	(i) उपखण्ड अधिकारी-जहां पर्यटन इकाई को छोड़कर कुल क्षेत्र 1 हैक्टर से अधिक नहीं है। (ii) कलक्टर-जहां पर्यटन इकाई को छोड़कर कुल क्षेत्र 10 हैक्टर से अधिक नहीं है, (iii) राज्य सरकार-जहां किसी भी क्षेत्रफल की पर्यटन इकाई सहित कुल क्षेत्र 10 हैक्टर से अधिक है।
(ङ)	नमक विनिर्माण प्रयोजन	(i) उपखण्ड अधिकारी, जहां कुल क्षेत्र 20 हैक्टेयर से अधिक नहीं है, (ii) कलक्टर जहाँ कुल क्षेत्र 20 हैक्टेयर से अधिक है।
(च)	लोकोपयोगी प्रयोजन	(i) उपखण्ड अधिकारी, जहां कुल क्षेत्र 4000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है, (ii) कलक्टर, जहाँ कुल क्षेत्र 10,000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है, (iii) राज्य सरकार, जहाँ कुल क्षेत्र 10,000 वर्गमीटर से अधिक है।
[2][(छ)	संस्थागत सम्बन्धी प्रयोजन और चिकित्सा सुविधाएँ	(i) जिला कलेक्टर-जहां कुल क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं हो। (ii) राज्य सरकार-जहाँ कुल क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से अधिक हो।]
[4][(ज)	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र	राज्य सरकार

परन्तु यदि आवासीय कॉलोनियां/परियोजनाएं भागतः नगरीय निकायों की अधिकारिता और उनकी परिधीय क्षेत्र के अधीन और भागतः ग्रामीण क्षेत्र के अधीन अवस्थित खातेदारी भूमि में स्थापित की जाती है तो खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन अधिनियम की धारा 90-ख के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समुचित सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संपरिवर्तन की दर, नगरीय निकायों के लिए नगरीय विकास और आवासन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए प्रभारित की जायेगी और ग्रामीण क्षेत्र के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रभारित संपरिवर्तन प्रभार चालान के माध्यम से सरकारी राजस्व शीर्ष में जमा कराये जायंगे।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी/परियोजना[3][औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक सम्पदा] स्थापित करने के लिए कुल भूमि का 40 प्रतिशत सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा और वाणिज्यिक और संस्थागत प्रयोजन के लिए कुल भूमि के 5 प्रतिशत क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए शेष 60 प्रतिशत भूमि आवासीय परियोजना के लिए उपयोग में लायी जायेगी। आवासीय कॉलोनी/परियोजना की दर से संपरिवर्तन प्रभार आवासीय कॉलोनी/परियोजना के कुल क्षेत्र पर संदेय होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय कॉलोनी/ परियोजना [3][औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक सम्पदा] स्थापित करने के लिए परियोजना राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रयोजन के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता के अधीन गठित समिति द्वारा अनुमोदित की जायेगी।

1. अधिसूचना सं. एफ 6(6) राज. vi/92/पार्ट/18 दिनांक 20.3.2008 द्वारा नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) के कॉलम नं. 2 के (ii) एवं (iii) प्रतिस्थापित किये गये। प्रतिस्थापन से पूर्व निम्न प्रकार थे-
   (ii) कलक्टर जहां होटल, रिसोर्ट, सिनेमा [×××] बारूदशाला, मल्टीप्लेक्स को छोड़कर कुल क्षेत्र 5000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है।
   (iii) राज्य सरकार जहां कुल क्षेत्र 5000 वर्ग मीटर से अधिक है और होटल, रिसोर्ट, सिनेमा, [×××] बारूदशाला और मल्टीप्लेक्स के सभी मामले
   * अधिसूचना सं. एफ 6(6) राज. vi/92/पार्ट/54 दिनांक 12 नवम्बर, 2007 द्वारा नियम 9 के खण्ड (ग) के कॉलम नं. 2 की प्रविष्टी (ii) एवं (iii) के शब्द "पैट्रोल पम्प" विलोपित किये गये।
2. अधिसूचना सं. एफ 6(6) राज. vi/92/पार्ट/54 दिनांक 12 नवम्बर 2007 के द्वारा नियम 9 के खण्ड छ को प्रतिस्थापित किया गया जो प्रतिस्थापन से पूर्व इस प्रकार था-
   (छ) संस्थागत सम्बन्धी प्रयोजन और चिकित्सा सुविधाएँ "राज्य सरकार"
3. अधिसूचना सं. एफ 6(6) राज. vi/92/पार्ट/18 दिनांक 20.3.2008 द्वारा नियम 9 के उप नियम (2) में शब्द प्रतिस्थापित किये गये।
4. अधिसूचना सं. प 6(6) राजस्व VI/92/पार्ट IV/13 दिनांक 15 मई, 2008 द्वारा नियम 9 के उप खण्ड (छ) के पश्चात् (ज) नया जोड़ा गया।

परन्तु किसी जिले में औद्योगिक प्रयोजन के लिए किसी आवेदक को उसकी भूमि का एक बार संपरिवत्तन अनुज्ञात किया जाता हे तो उसे केवल उसी जिले में उसी औद्योगिक प्रयोजन या इसके विस्तार के लिए खातेदारी भूमि के अन्य टुकड़े का संपरिवर्तन अनुज्ञात किया जायेगा यदि उसी प्रयोजन के लिए विद्यमान उद्योग चल रहा है।

परन्तु यह और कि संपरिवर्तन के लिए कोई आवेदन वहां अपेक्षित नहीं होगा जहां अभिधारी उसके द्वारा धारित भूमि के 2500 वर्ग मीटर से अनधिक क्षेत्र पर छोटा ईंट भट्टा (कजावा) स्थापित करना चाहता है और ऐसी भूमि ऐसे छोटे ईंट भट्टे (कजावा) के लिए संपरिवर्तित हुई समझी जायेगी। ऐसे संपरिवर्तन के लिए कोई संपरिवर्तन प्रभार संदेय नहीं होंगे।

परन्तु यह भी कि संपरिवर्तन के लिए कोई आवेदन अपेक्षित नहीं होगा यदि भूमि का सम्पूर्ण टुकड़ा और उस पर सनिर्मित भवन, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विनिधान पर सशक्त समिति की अनुज्ञा से अनन्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जाना है। तथापि, संपरिवर्तन प्रभार इन नियमों के अधीन संदेय होंगे।

(3) कलक्टर की रैंक तक का विहित प्राधिकारी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन, उसमें विहित दस्तावेजों के साथ, के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर आवश्यक जांच करने के पश्चात प्ररूप 'ख' में संपरिवर्तन का आदेश जारी करेगा या आवेदक को आवेदन के नामंजूर होने की या जमा कराये जाने वाले संपरिवर्तन प्रभारों की शेष रकम की सूचना देगा:

परन्तु विहित प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तन या नियमितीकरण का ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जायेगा जहां आवेदन जिला सिरोही की आबू रोड तहसील के ओरिया, उताराज, अओरना, जवाई, अचलगढ़ और सालगांव के राजस्व ग्रामों के भीतर आने वाली कृषि भूमि से सम्बन्धित है।

(4) विहित प्राधिकारी आवेदक द्वारा जमा कराये गये संपरिवर्तन प्रभारों की उप-नियम (3) के अधीन यथा-सूचित शेष रकम को उपदर्शित करते हुए चालान की प्रति प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर प्ररूप 'ख' में संपरिवर्तन आदेश जारी करेगा।

(5) यदि राज्य सरकार को छोड़कर कोई विहित प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उप-नियम (3) या (4) के अधीन कोई आदेश जारी करने में विफल रहता है तो वह उप-नियम (3) या (4) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं करने का कारण अभिलिखित करने के पश्चात् उस पत्रावली को 10 दिन के भीतर अपने से अगले विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो आवश्यक आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा उप-नियम (3) या, यथास्थिति, (4) के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किये हुए समझे जायेंगे।

(6) उन मामलों में जिनमें राज्य सरकार विहित प्राधिकारी है, राज्य सरकार पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन उसमें विहित दस्तावेजों के साथ प्राप्त करने के पश्चात्, आवश्यक जांच करने के पश्चात् प्ररूप 'ख' में संपरिवर्तन का आदेश जारी करेगी या आवेदक को आवेदन के नामंजूर होने या प्रीमियम की शेष रकम की सूचना देगी। यदि प्रीमियम की शेष रकम 15 दिन के भीतर जमा करा दी जाती है और संपरिवत्तन प्रभारों की शेष रकम उपदर्शित करते हुए चालान की प्रति राज्य प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाती है तो वह प्ररूप 'ख' में संपरिवर्तन का आदेश जारी करेगी।

10. संपरिवर्तन के प्रयोजन में परिवर्तन- (1) यदि कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए नियम 9 के अधीन संपरिवर्तन आदेश के जारी होने के पश्चात् उसे किसी भी अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लेना चाहता है तो वह प्रीमियम के अन्तर की रकम, यदि कोई हो, को उपदर्शित करते हुए चालान सहित प्ररूप 'ग' में आवेदन विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति नियम 9 के अधीन किसी पर्यटन इकाई, जो पर्यटन इकाई की परिभाषा के अधीन नहीं आती है, की स्थापना के लिए संपरिवत्तन आदेश जारी होने के पश्चात् या किसी भी समय किसी स्थापित पर्यटन इकाई को ऐसी इकाई में संपरिवर्तित करता है जो पर्यटन इकाई की परिभाषा के अधीन नहीं आती है तब ऐसी इकाई वाणिजियक इकाई समझी जायेगी और तदनुसार वह संपरिवर्तन प्रभारों के अन्तर का संदाय करने का दायी होगा। विहित प्राधिकारी पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश जारी करेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे इन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के अधीन किसी विनिर्दिश्ट अकृषिक प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की गयी हे, उसे किसी अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लेने का आशय रखता है तो वह विहित प्राधिकारी को प्ररूप 'ग' में आवेदन प्रस्तुत करेगा और इन नियमों के अधीन यथा-विहित संपरिवर्तन प्रभार जमा करायेगा।

(4) विहित प्राधिकारी उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करने में नियम 9 के उप-नियम (3), (4), (5) और (6) में यथा-अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और प्ररूप 'घ' में पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश जारी करेगा।

11. अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का अन्तरण- इन नियमों के अधीन किसी भी अकृषिक प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से संपरिवर्तित कोई भी संपरिवर्तन प्रभारों का संदाय किये बिना विहित प्राधिकारी से अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् अन्तरित की जा सकेगी।

12. राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि- तहसीलदार संपरिवर्तन आदेश जारी होने के पश्चात् राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्ठि करके खातेदारी भूमि का क्षेत्र कम कर देगा।

13. विधि विरुद्ध संपरिवर्तन का विनियमितीकरण- (1) यदि कोई व्यक्ति जिसने अनुज्ञा के बिना किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि का उपयोग किया है, नियम 7 में यथा विहित संपरिवर्तन पभारों का चार गुना जमा कराकर चालान की प्रति साथ विहित प्राधिकारी को संपरिवर्तन के वियिमितीकरण के लिए आवेदन करेगा:

परन्तु आवासीय की दशा में 600 वर्ग मीटर और वाणिज्यिक प्रयेाजन की दशामें 100 वर्ग मीटर से अधिक भूमि का विनियमितीकरण राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जायेगा।

(2) विहित प्राधिकारी, अनुज्ञा मंजूर करने या इनकार करने के लिए वैसी ही प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी नियम 9 में विहित है।

14. संपरिवर्तन के पश्चात् भूमि का उपयोग- किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित कोई कृषि भूमि, संपरिवर्तन आदेश जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसे संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जायेगी, इसमें विफल रहने पर संपरिवर्तन आदेश प्रतयाह्रत कर लिया जायेगा और जमा करायी गयी संपरिवर्तन प्रभारों की रकम राज्य सरकार को समपह्रत हो जायेगी:

परन्तु दो वर्ष की उक्त कालावधि अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि ऐसे उच्च प्राधिकारी का समाधान हो जाये:

परन्तु यह और कि संपरिवर्तन प्रभारों के समपहरण का कोई आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

15. अतिक्रमी की बेदखली- नियम 4 के उल्लंघन में किसी भूमि या उसकी खातेदारी अभिधृति में अभिलिखित नहीं की गयी भूमि को किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लेने वाला कोई व्यक्ति राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के उपबन्धों के अनुसार बेदखली का भागी होगा।

16. ब्याज- कोई व्यकित, जो विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिश्ट समय के भीतर संपरिवर्तन प्रभारों की रकम जमा कराने में विफल रहता है, ऐसी कालावधि के अवसान से प्रतिवर्ष बारह प्रतिशत की दर से ब्याज का संदाय करने का भागी होगा।

17. संपरिवर्तन प्रभार या शास्ति या ब्याज का जमा कराया जाना- संपरिवर्तन प्रभारों या ब्याज की रकम समय-समय पर लागू, राज्यसरकार के सुसंगत राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अधीन चालान के द्वारा खजाने या सरकारी लेन-देन करने वाले बैंक में जमा करायी जायेगी।

18. ग्राम पंचायत को संपरिवर्तन प्रभारों का संदाय- इस नियम के अधीन जमा कराये गये संपरिवर्तन प्रभारों का आधा भाग प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायत को दिया जायेगा।

19. बकाया की वसूली- इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध बकाया रहे संपरिवर्तन प्रभार या ब्याज राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 15) के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

20. निरसन और व्यावृत्ति- राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु ऐसा निरसन इसके अधीन किये गये आदेश, की गयी कार्यवाही की गयी या भुगती गयी किसी बात के प्रभाव और परिणामों को या इसके अधीन पहले से अर्जित प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व या इनके सम्बन्ध में की गयी जाँच, किये गये सत्यापन या की गयी कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगी।

प्ररूप-क
[देखिए धारा 9(1)]
कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन हेतु आवेदन

प्रेषिती :

विहित प्राधिकारी,
(राज्य सरकार/जिला कलेक्टर/
उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार)
....

महोदय,

मैं/हम राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन मेरी/हमारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन हेतु इसके द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं जिसकी विशिष्टयाँ इसके नीचे दी गयी हैं—

1. खातेदार अधिकारी का/के नाम पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता :
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है :
3. संपरिवर्तन करवाये जाने के लिए ईप्सित भूमि का ब्यौरा :
   (क) ग्राम, ग्राम पंचायत और तहसील का नाम :
   (ख) क्या भूमि किसी नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका बोर्ड की किसी उपान्त पट्टी में या स्थानीय क्षेत्र के भीतर स्थित है :
   (ग) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल :
   टिप्पणी : नवीनतम जमाबन्दी की दो प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।
4. नक्शे में ऐसे क्षेत्र की ठीक अवस्थिति उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन के लिए आवेदित क्षेत्रफल (हैक्टर या वर्ग मीटर में) :
   टिप्पणी : संपरिवर्तित कराये जाने के लिए ईप्सित भूमि के लाल स्याही से दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की दो प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें :
5. संपरिवर्तन का प्रयोजन :
6. क्या भूमि नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आती है :
7. क्या भूमि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अधीन या राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 के निरसित अध्याय III-ख के अधीन अधिशेष घोषित की गयी है :
8. क्या भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जनाधीन है :
9. क्या भूमि, राज्य सरकार द्वारा आवेदक को किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए आवंटित की गयी थी यदि ऐसा है तो आदेश की संख्या और तारीख लिखे :
10. मास्टर प्लान, यदि लागू हो, में दर्शित भूमि का उपयोग :
11. रेलपटरी, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या किसी अन्य सड़क या ग्रामीण रास्ते से दूरी (मीटर में) :
12. औद्योगिक प्रयोजन के मामले में ग्राम की आबादी की बाहरी सीमा से दूरी :
13. क्या आवेदन इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व किये गये सन्निर्माण के विनियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन प्रस्तुत किया गया है :
14. संदेय संपरिवर्तन प्रभारों की दर :
15. संपरिवर्तन प्रभारों का संदाय करने वाले चालान की संख्या और तारीख :
   (टिप्पणी : चालान की मूल प्रति संलग्न करें)

(25)

16. **कोई अन्य सुसंगत सूचना :**

मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टियाँ मेरी/हमारी जानकारी और विश्वा के अनुसार सही है।

भवदीय

स्थान :
तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

रसीद संख्या :

श्री .... से ग्राम .... में खसरा सं. .... के संपरिवर्तन के लिए आवेद आज दिनांक .... को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर
विहित प्राधिकारी
(राज्य सरकार/जिला कलक्टर/
उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)

तारीख

प्ररूप-ख

[देखिए नियम 9(3), (4) और (6)]

कार्यालय, विहित अधिकारी (राज्य सरकार/जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)

संख्या .... दिनांक ....

संपरिवर्तन आदेश

श्री .... ग्राम .... तहसील .... के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टयाँ नीचे दी गयी है :

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम सहित तथा पूरा पता :
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है :
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :
   (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम :
   (ख) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) :
   (ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में या वर्ग मीटर में) :

   टिप्पणी : अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति संलग्न है।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :
5. संदेय संपरिवर्तन प्रभारों की दर :
6. चालान की संख्या और तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम :
7. चालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम :
8. चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम :
9. क्या आदेश विनियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है :
10. अन्य विशिष्टयाँ यदि कोई हों :
11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्ययीन होगा–
   (i) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
   (ii) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धनराशि समपहृत हो जायेगी।
   (iii) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(iv) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(राज्य सरकार/जिला कलक्टर/
उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)

विहित प्राधिकारी की मुहर
सं. ....

प्रतिलिपि :

दिनांक ....

1. जिला कलक्टर ....
2. ग्राम पंचायत ....
3. आवेदक श्री ....

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-ग
[देखिए नियम 10]
संपरिवर्तन के प्रयोजन में परिवर्तन के लिए आवेदन

प्रेषिती :

विहित प्राधिकारी,
(राज्य सरकार/जिला कलेक्टर/
उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार)
....

महोदय,

मैं/हम राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 10 के अधीन संपरिवर्तन के .... (प्रयोजन) से .... (प्रयोजन) में परिवर्तन के लिए इसके द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं, जिसकी विशिष्टयाँ इसके नीचे दी गयी हैं :

1. आवेदक का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता :
2. मूल संपरिवर्तन आदेश की संख्या और तारीख
   (टिप्पणी : आदेश की फोटो प्रति संलग्न करें)
   या
   आवंटन आदेश की संख्या और तारीख
   (टिप्पणी : आदेश की प्रति संलग्न करें)
3. प्रयोजन जिसके लिए भूमि संपरिवर्तित की गयी थी :
   या
   प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवंटित की गयी थी :
4. संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन
5. भूमि का ब्यौरा, जिसका परिवर्तन ईप्सित है :
   (i) ग्राम/ग्राम पंचायत/ तहसील का नाम :
   (ii) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल :
6. नक्शे में ऐसे क्षेत्र की ठीक अवस्थिति उपदर्शित करते हुए, पुनरीक्षित प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित कराये जाने के लिए ईप्सित क्षेत्रफल (हैक्टेयर/वर्ग मीटर में)
   (टिप्पणी : संपरिवर्तित कराये जाने के लिए ईप्सित भूमि को लाल स्याही से दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की दो प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें)
7. मूल संपरिवर्तन के लिए संदेय संपरिवर्तन की दर :
8. पुनरीक्षित संपरिवर्तन के लिए संदेय संपरिवर्तन की दर :
9. संपरिवर्तन के अन्तर की रकम :
10. प्रीमित के अन्तर की रकम को जमा कराने वाले चालान की संख्या और तारीख :

(27)

11. **कोई अन्य सुसंगत सूचना :**

मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टियाँ मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

भवदीय
आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

स्थान ....
तारीख ....

रसीद सं.

श्री .... से .... ग्राम के खसरा संख्या .... के संपरिवर्तन के लिए आवेदन आज अर्थात् .... को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर
विहित प्राधिकारी
(राज्य सरकार/जिला कलक्टर/
उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)

स्थान ....
दिनांक ....

प्ररूप-घ

[देखिए नियम 10(4)]

कार्यालय, विहित प्राधिकारी (राज्य सरकार/जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार.........)

संख्या ....

दिनांक ....

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

श्री .... ग्राम .... तहसील .... के आवेदन पर पहले से अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 10(4) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषिक प्रयोजन के संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ निम्नानुसार हैं :

1. आवेदक का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता :
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है :
3. आदेश की संख्या और तारीख उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन :

   या

   आदेश की संख्या और तारीख उपदर्शित करते हुए, प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवंटित की गयी थी :
4. संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन :
5. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :
   (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/ तहसील का नाम :
   (ख) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) :
   (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्ग मीटर में)

   टिप्पणी : अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भागे की सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है?
6. मूल संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दर :
7. मूल आवेदन के साथ जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम, चालान की संख्या और तारीख सहित :
8. पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दर :
9. चालान की संख्या और तारीख सहित, संपरिवर्तन प्रभारों के अन्तर की जमा करायी गयी रकम :
10. चालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम :

11. चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम :
12. अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हों :
13. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्ययीन होगा :
    (i) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
    (ii) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धनराशि समपहृत हो जायेगी।
    (iii) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
    (iv) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित अधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(राज्य सरकार/जिला कलक्टर/
उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार)

विहित प्राधिकारी की मुहर
सं. ....

दिनांक ....

प्रतिलिपि :

1. जिला कलक्टर ....
2. ग्राम पंचायत ....
3. आवेदक श्री ....

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

राज्यपाल के आदेश से,
ह./-
(के.जी. अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, राजस्व मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/सचिव राजस्व।
5. सभी खण्ड आयुक्त/सभी कलक्टर, राजस्थान।
6. रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 2.4.07 के राजस्थान असाधारण राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु।
8. संयुक्त रजिस्ट्रार, न्यायाधीश पुस्तकालय, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. निदेशक, जन सम्पर्क, जयपुर।
10. "राविरा" राजस्व बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
11. निदेशक, पी.आर.टी.आई. जयपुर रोड, अजमेर।
12. उप रजिस्ट्रार (एफ एण्ड ए) राजस्व बोर्ड, अजमेर।
13. निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर), जयपुर।
14. सभी उप सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय।
15. गार्ड फाइल।

ह./-
शासन उप सचिव